



पत्रांक.....

दिनांक : 23.08.2023

छात्रसंघ चुनाव 2023

चुनाव प्रक्रिया एवं नियमावली

चुनाव प्रक्रिया – चुनाव प्रक्रिया तीन दिनों में पूर्ण होगी।

प्रतिनिधि चयन– 28 अगस्त, 2023 को सभी कक्षा प्रतिनिधि छात्रसंघ संविधान के अनुसार चुने जायेंगे। जिन विषयों में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम हैं वहां छात्र प्रतिनिधि का चुनाव अभी नहीं होगा तथा विषय प्रतिनिधि परीक्षा में 05 से अधिक विद्यार्थी उपस्थित होने पर ही छात्र प्रतिनिधि चुनें जायेंगे। स्नातकोत्तर की कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया जारी होने के कारण इनमें कक्षा प्रतिनिधि प्रवेश प्रक्रिया की समाप्ति के उपरान्त चुने जायेंगे।

कक्षा प्रतिनिधि चुनाव हेतु 15 (पन्द्रह) बहुविकल्पी प्रश्न दिये जायेंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 02 (दो) अंक का होगा। कक्षा प्रतिनिधियों का चुनाव कक्षा प्रतिनिधि परीक्षा में प्राप्त अंक तथा शिक्षक द्वारा आचरण एवं व्यवहार पर 5 अंक में से दिये गये अंक के योग में सर्वाधिक अंक प्राप्ति के आधार पर होगा।

पदाधिकारी नामांकन – 28 अगस्त, 2023 को सायं 03.00 बजे से 05.00 बजे तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री हेतु नामांकन चुने गये कक्षा प्रतिनिधि कर सकते हैं, महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं में से एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक द्वारा प्रत्याशित निर्धारित प्रारूप पर किया जा सकेगा। प्रत्याशित प्रारूप कार्यालय से प्राप्त होगा तथा वही पर जमा होगा, जिसके लिए वैध परिचय पत्र/फीस रसीद, अभ्यर्थी का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवश्यक है।

नामांकन वापसी – 29 अगस्त, 2023 प्रातः 09.00 बजे से 10.00 बजे तक प्रत्याशी द्वारा अपनी प्रत्याशित वापस ली जा सकेगी। तत्पश्चात 10.30 से 11.00 बजे तक प्रत्याशियों के आवेदन/पर्चे की जाँच होगी तथा वैध प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जायेगी।

योग्यता भाषण – 29 अगस्त, 2023 को ही वैध प्रत्याशियों की सूची घोषित होते ही 12.30 बजे से श्रीराम सभागार में प्रत्याशियों का योग्यता भाषण प्रारम्भ होगा, जिसमें प्रत्याशी को साधारण सभा के समक्ष अपनी बात अधिकतम 07 मिनट में रखना होगा।

मतदान – 30 अगस्त, 2023 को प्रातः 08.30 से अपराह्न 01.30 बजे तक मतदान होगा। सभी प्रत्याशी अपने—अपने तीन मतदान अभिकर्ता का नाम, फोटो 29 अगस्त को अपराह्न 04.00 बजे तक अवश्य जमा कर दें। 30 अगस्त, 2023 को किसी मतदान अभिकर्ता का नाम स्वीकार नहीं होगा। मतदान के दिन सभी प्रत्याशी एवं मतदान अभिकर्ता कालेज परिसर में प्रातः 08.00 बजे तक अवश्य उपस्थित हो जाएं, जिससे मतदान प्रातः 08.30 बजे प्रारम्भ हो सके। प्रत्याशी एवं उनके अभिकर्ता के जलपान एवं दोपहर भोजन की व्यवस्था महाविद्यालय करेगा।

मतगणना एवं परिणाम – अपराह्न 02.30 बजे से परिणाम आने तक मतगणना चलती रहेगी। मतगणना के पश्चात चुनाव अधिकारी उसी दिन, निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री को प्रमाण—पत्र दे देंगे।

मतदाता— महाविद्यालय के सभी संस्थागत विद्यार्थी मतदाता होंगे। महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित परिचय पत्र/फीस रसीद की मूल प्रति मतदान का आधार होगा।



(2)

चुनाव आचार संहिता – छात्रसंघ चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आचार संहिता का पालन अनिवार्य होगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी की प्रत्याशिता स्वतः समाप्त हो जायेगी। चुनाव आचार संहिता में निम्नलिखित आचरण, व्यवहार अपेक्षित होंगे—

- (क) चुनाव प्रचार हेतु कोई भी प्रत्याशी पोस्टर, बैनर, पर्चा, दिवाल लेखन आदि किसी भी प्रकार का व्यय साध्य तरीका नहीं अपनायेगा।
- (ख) कक्षाओं में उद्बोधन, परिसर में एकाधिक के साथ समूह बनाकर चलना, किसी बाहरी को परिसर में बुलाना आदि प्रतिबन्धित रहेगा।
- (ग) महाविद्यालय परिक्षेत्र में किया गया कोई भी अमर्यादित आचरण, व्यवहार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।
- (घ) योग्यता भाषण का आयोजन ही प्रचार का एकमात्र माध्यम होगा।
- (ङ) चुनाव अधिकारी के निर्णय पर प्राचार्य के पास अपील की जा सकेगी। प्राचार्य का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। प्राचार्य के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।


(चुनाव अधिकारी)
श्री हरिकेश यादव